>

Title: Need to ensure payment of dues to sugarcane growers by sugarmills in Uttar Pradesh-laid.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : भारत के विभिन्न राज्यों में किसानों को गन्ना मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। उसके सापेक्ष विभिन्न राज्य अपना समर्थन मूल्य घोषित करके चीनी मिलों से भुगतान सुनिश्चित कराती है। इंडियन शुगरकेन कंट्रोल एक्ट 1953 के तहत किसानों द्वारा चीनी मिलों को गन्ना के आपूर्ति के पन्द्रह दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित करना होता है। यदि चीनी मिलें किसानों का पंद्रह दिन के अंदर भुगतान नहीं करती तो उन्हें किसानों को गन्ना मूल्य के साथ 14 प्रतिशत ब्याज देना पड़ता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में किसानों को 2009-2010 के गन्ने के मूल्य का भुगतान आज तक नहीं मिला है। अभी भी प्रदेश के गन्ना किसानों का राज्य की चीनी मिलों पर लगभग 500 करोड़ रूपया बकाया है, जबकि उत्तर प्रदेश में किसानों की नकदी फसल एकमात्र गन्ना ही है, उसी की आय से प्रदेश का किसान अपनी जिम्मेदारियों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। लेकिन राज्यों की किसानों के प्रति उदासीनता एवं अन्य प्राथमिकताओं के कारण गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो रहा है। केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में घोषित समर्थन मूल्य पर किसानों द्वारा राज्य की चीनी मिलों में आपूर्ति किये हुए गन्ना भुगतान को सुनिश्चित कराने की मैं मांग करता हूं।